

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi - 110001

November 9, 2005

Office Memorandum

Subject: Recruitment of staff through Employment Exchange- need for advertisement -regarding.

....

The undersigned is directed to refer to the Department of Personnel and Training Office Memorandum of even number dated 18th May, 1998 (copy enclosed) on the above noted subject and to say that pursuant to the judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Excise Superintendent, Malkapatnam, Andhra Pradesh V/s. K.B.N. Visweshwara Rao & Ors [1996 (6) SCALE 676], the earlier policy of making a selection only through the Employment Exchange in respect of posts for which recruitment is not made through regular selection bodies viz. UPSC/SSC etc. was reviewed and it was decided that in respect of such posts, in addition to notifying the vacancies to the Employment Exchange, the requisitioning authority/establishment shall also arrange for the publication of the recruitment notice in the "Employment News/Rozgar Samachar" and also display the recruitment notice on the Office Notice Board and then consider the cases of all the candidates.

2. As per the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and the Rules framed thereunder, vacancies in the posts of technical and scientific nature carrying a basic pay of Rs. 1400/- (pre-revised) or more per month occurring in (a) establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Act and (b) vacancies which an employer may desire to be circulated to the Employment Exchanges outside the State or Union Territory in which the establishment is situated, are to be notified to the Central Employment Exchange. As per the procedure adopted by Central Employment Exchange, such vacancies are being advertised in the Employment News/Rozgar Samachar.

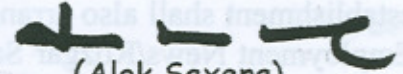
3. Therefore, instances have been reported where the vacancies already advertised by the concerned authorities in terms of DoPT Office Memorandum dated 18th May, 1998 *ibid* were also advertised by the Central Employment Exchange, thereby, leading to publication of the same set of vacancies twice in the Employment News/Rozgar Samachar.

4. The matter has accordingly been examined in consultation with the Ministry of Labour, Dte General of Employment and Training and the Ministry of Law. In partial modification of DoPT Office Memorandum of even number dated 18th May, 1998, it has now been decided that for vacancies, which are not filled through UPSC/SSC etc. and for which a reference is to be made to the Central Employment Exchange, advertisement for publication in the Employment News/Rozgar Samachar shall be issued by the Central Employment Exchange only and not by the concerned employer organisation. Candidates, whether registered with the local employment exchange or not, who respond to the advertisement issued by the Central Employment Exchange, will however, be required to apply directly to the employer organisation in the format prescribed in the advertisement to be issued by the Central Employment Exchange.

5. However, where the vacancies are required to be reported only to the local employment exchange, in addition to advertisement, such vacancies shall continue to be advertised in the Employment News/Rozgar Samachar by the employer organization.

6. The recruitment notices shall, however, be displayed on the Office Notice Board in all cases, as before.

7. This order takes effect from date of issue of the order.


(Alok Saxena)
Director (Estt)

To
All Ministries/Departments of Govt. of India

Copy to:-

1. All State Governments /Union Territory Administrations.
2. Office of C&AG.
3. Secretary, UPSC.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. Lok Sabha Secretariat, New Delhi
6. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
7. Director General Employment & Training w.r.t. their letter no. DGET- U-11011/9/2001-EE.I dated 7th October., 2005
8. Secretary, National Council(JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi
9. All attached and sub-ordinate offices of DOPT
10. Ministry of Railways/Department of Banking/Department of Public Enterprises/Department of Atomic Energy/Department of Space/Department of Electronics/Department of Non-Conventional Energy Sources..
11. NIC for placing this information on the web site of DOPT.
12. Facilitation Centre, DOPT (with 20 spare copies).
13. Estt D- 200 spare copies

नई दिल्ली, दिनांक: 9 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रोजगार कार्यालय के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन की आवश्यकता।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 1998 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मलकापटनम्, आन्ध्र प्रदेश बनाम के० वी० एन० विश्वेश्वरा राव और अन्य [1996(6) स्केल 676] मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, ऐसे पदों जिन पर भर्ती, नियमित चयन निकायों अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग आदि के माध्यम से नहीं की जाती, के संबंध में केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से चयन किए जाने की, पहले की नीति की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे पदों के संबंध में मांगकर्ता प्राधिकारी/स्थापना, रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करने के अतिरिक्त "एम्पलायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार" में भर्ती संबंधी सूचना के प्रकाशन की व्यवस्था भी करेगा और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भर्ती की सूचना प्रदर्शित भी करेगा और फिर सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करेगा।

2. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, 1400 रुपए (पूर्व संशोधित) अथवा इससे अधिक प्रतिमाह के मूल वेतन वाले तकनीकी अथवा वैज्ञानिक स्वरूप के पद जो (क) ऐसी स्थापनाओं में रिक्त हो जाएं जिनमें उक्त अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार समुचित सरकार है और (ख) ऐसी रिक्तियां जिन्हें नियुक्त अधिकारी अपने राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिसमें स्थापना स्थित है, से बाहर के रोजगार कार्यालयों में परिचालित करने का इच्छुक हो, केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जानी होती है। केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी रिक्तियां एम्पलायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापित की जा रही हैं।

3. अतः ऐसे दृष्टान्त सामने आए हैं जहाँ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 1998 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही विज्ञापित की गई रिक्तियां, केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा भी विज्ञापित की गई थीं जिससे एक ही तरह की रिक्तियां एम्पलायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार में दो बार प्रकाशित हो गईं।

4. इस मामले की, श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय और विधि मंत्रालय के परामर्श से जाँच-पड़ताल की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 1998 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी रिक्तियां, जो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं भरी जाती हैं और जिनके संबंध में

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को लिखा जाना होता है, उन्हें एम्पलाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित किए जाने का विज्ञापन केवल केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, और संबंधित नियोक्ता संगठन द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को, चाहे वे स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हों अथवा नहीं, केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में निर्धारित प्रपत्र में सीधे नियोक्ता संगठन को आवेदन करना होगा।

5. तथापि, जहाँ रिक्तियां विज्ञापन दिए जाने के अतिरिक्त केवल स्थानीय रोजगार कार्यालयों में सूचित की जानी अपेक्षित होती हैं, ऐसी रिक्तियां नियोक्ता संगठन द्वारा, एम्पलाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापित करवाई जाती रहेंगी।

6. तथापि, भर्ती सूचनाएं पहले की तरह कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी।

7. यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

आलोक

(आलोक सक्सेना)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग।
5. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.), 13, फीरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
10. रेल मंत्रालय/बैंकिंग विभाग/लोक उद्यम विभाग/परमाणु उर्जा विभाग/अंतरिक्ष विभाग/इलैक्ट्रॉनिक विभाग/गैर परम्परागत उर्जा स्रोत विभाग।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) को यह कार्यालय विज्ञापन, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग की वेबसाइट पर सुलभ करवाने हेतु।
12. सूचना सुविधा काउंटर, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (20 प्रतियाँ)।
13. स्थापना (घ) अनुभाग (200 प्रतियाँ)।